न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः—04 / 2017

निर्णय दिनांकः— 28.06.2019

उनवान

1. शिवजीलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
2. बद्री पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामकरण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
4. नारायण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
5. मूली पुत्री जगराम जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
6. कमला पुत्री जगराम जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
7. सीताराम पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
8. कालू उर्फ हंसराज पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
9. कानाराम पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
10. छोटू पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
11. भगवान पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
12. भूरी बेवा रंगलाल जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत खणदेवत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
2. रोडू पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाई
4. उपपंजीयक निवाई

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1977 दिनांक 06.2.2017 ग्राम पंचायत खणदेवत द्वारा स्वीकृत किया गया है।

उपस्थितः— श्री रामावतार शर्मा वकील अपीलान्ट्स
श्री अबरार अहमद वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री नरेन्द्र कुमार जाट वकील रेस्पोडेन्ट्स 2

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

अपील संख्याः–02 / 2017
निर्णय दिनांकः– 28.06.2019

उनवान

1. रतनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति दादूपंथी बाबाजी निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
2. सूरजकरण उर्फ पप्पू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति दादूपंथी बाबाजी निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
3. बदाम पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति दादूपंथी बाबाजी निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
4. नर्बदा बेवा लक्ष्मीनारायण जाति दादूपंथी बाबाजी निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
2. रोडू पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
3. नाथी पुत्री रूघनाथ जाति जाट निवासी खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक
4. तहसीलदार निवाई
5. उपपंजीयक निवाई

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1977
दिनांक 06.2.2017 ग्राम पंचायत खणदेवत

उपस्थितः– श्री सीताराम शर्मा वकील अपीलान्ट्स
श्री अबरार अहमद वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री नरेन्द्र कुमार जाट वकील रेस्पोडेन्ट्स 2

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–
यह कि आराजी ख.नं. 337 रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम खणदेवत तहसील निवाई में स्थित है जिस पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वजों के जीवनकाल से आज दिन तक मौके पर बतौर मालिक स्वामी की हैसियत से काबिज होकर भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में हरसूखा पुत्र श्रवण कोम जाट जो कि ला–औलाद फोत हुआ है उसके ग्राम पंचायत में पूर्व में रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा नामांतकरण खुलवाने हेतु कार्यवाही की गई थी जिसे ग्राम पंचायत खणदेवत द्वारा दिनांक 08.10.1980 को ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 का नामांतकरण निरस्त फरमा दिया गया था उसके बावजूद भी पुनः 37 वर्ष पश्चात हरसूखा को दिनांक 11.10.1969 को मृत्यु होना दिखाते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतकरण रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में दिनांक 06.2.17 को क्षैत्राधिकार से परे जाकर मियाद बाहर बिना किसी वैध व अधिकार के फर्जी व मिलीभगत तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसूखा का वारिस व उत्तराधिकारी के रूप में नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त आराजी को अपीलान्ट के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरी रिजमशन एक्ट लागू उसी समय से अपीलान्ट के पूर्वज जगदीश व जगरामा पि. सोहनलाल कोम जाट काश्त करते चले आ रहे थे किन्तु जब सेटलमेन्ट आया उस समय सम्वत् 2008 में उक्त भूमि को पूर्व में हरसूखा पुत्र श्रवण काश्त करने के कारण उसने अपीलान्ट के पूर्वजों के हक में अपने कब्जे की भूमि रहन रखकर अपीलान्ट के पूर्वजों को सम्भला दी थी तभी अपीलान्ट के पूर्वजों के उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बतौर राहिन मूर्तहीन के अपीलान्ट के कब्जे एवं आधिपत्य में चली आ रही है जिसके अपीलान्ट विधि अनुसार उक्त भूमि के मालिक स्वामी हो चुके है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में खोला गया उक्त नामांतकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः हस्तगत अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण सं. 1977 निर्णय दिनांक 6.2.2017 को निरस्त करते हुये, पटवारी हल्का राधाकिशन चौधरी खणदेवत के विरूद्ध एवं सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत के विरूद्ध गलत रूप से नामांतकरण पेश कर स्वीकृत करवाने के लिये पृथक से फौजदारी व विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलान्ट के हक में नामांतकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री अबरार अहमद एड. व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जाट एड. ने वकालतनामा पेश किया। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 की ओर से प्रा.पत्र 151 सीपीसी बाबत् इस आराजीयात से संबंधित इस न्यायालय में चल रहे सभी वादों की सुनवाई एक साथ किये जाने पेश किया। वकील अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश कर प्रा.पत्र 151 सीपीसी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्षों की प्रा.पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर इन वादों की विषय–वस्तु अलग–अलग होने से प्रा.पत्र 151 सीपीसी खारिज किया गया। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 की ओर से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 9, 13 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत् प्रकरण खारिज फरमाने पेश किया। वकील अपीलान्ट ने जवाब पेश किया। उक्त प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 9, 13 एवं धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर यह प्रा.पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया गया कि यदि आवश्यक पक्षकार है तो सीपीसी के प्रावधानों के तहत पक्षकार बन सकते है। इस पत्रावली के साथ अन्य सात पत्रावलीयां समेकित(कन्सोलिडेट) की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

अपील एवं आपत्तियां पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों के दृष्टांतों का वर्णन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। इसके पश्चात् उभयपक्षों के अधिवक्ताओं ने अवगत करवाया कि नामान्तकरण की अपील के साथ दावा व प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी समेकित(कन्सोलिडेट) कर दिया गया है जिन पर अलग से सुनवाई किया जाना न्यायसंगत है। अतः इस अपील के साथ मात्र अपील सं. 02/2017 बउनवान रतनलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत को ही समेकित(कन्सोलिडेट) रखा गया। उक्त अपील. 02/2017 बउनवान रतनलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत के तथ्य संक्षिप्त निम्न प्रकार है– खाता सं. 501 ख.नं. 1257/3 शा.नं. 1267 रकबा 06–14 बीघा वाके ग्राम खणदेवत में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादीगण अपने बाप दादाओ के जमाने से काबिज काश्त है। उक्त आराजी को वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण चेला जगरामदास जी के हरसूख पुत्र श्रवणा जाति जाट निवासी खणदेवत ने रहन रखी थी व कब्जा मालिकाना काबिजाना वादीगण को सम्भलाया था तब से ही वादीगण काबिज काश्त है। पूर्व में सन् 1980 के वाद में रोडू वगै. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। हरसूखा पुत्र श्रवणा ला–औलाद फोत हो गया था। उसने किसी को गोद भी नहीं लिया था। जबकि गलत रूप से वारिस बताते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है। अतः हस्तगत अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण सं. 1977 निर्णय दिनांक 6.2. 2017 को निरस्त करते हुये, पटवारी हल्का राधाकिशन चौधरी खणदेवत के विरूद्ध गलत वारिसों के नाम नामांतकरण भरने व ग्राम पंचायत गलत रूप से नामांतकरण पेश कर स्वीकृत करवाने के लिये पृथक से फौजदारी व विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावे। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 3 का नाम उभयपक्षों की सहमति से डिलीट किया गया। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 की ओर से प्रा. पत्र 151 सीपीसी बाबत् इस आराजीयात से संबंधित इस न्यायालय में चल रहे सभी वादों की सुनवाई एक साथ किये जाने पेश किया। वकील अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश कर प्रा.पत्र 151 सीपीसी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्षों की प्रा.पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर इन वादों की विषय–वस्तु अलग–अलग होने से प्रा.पत्र 151 सीपीसी खारिज किया गया। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 की ओर से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 9, 13 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत् प्रकरण खारिज फरमाने पेश किया। वकील अपीलान्ट ने जवाब पेश किया। उक्त प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 9, 13 एवं धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर यह प्रा. पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया गया कि यदि आवश्यक पक्षकार है तो सीपीसी के प्रावधानों के तहत पक्षकार बन सकते है। इसके पश्चात् इस पत्रावली को अपील सं. 04/2017 बउनवान शिवजीलाल बनाम ग्रा.पं. खणदेवत के साथ समेकित(कन्सोलिडेट) किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। अपील सं. 04/2017 बउनवान शिवजीलाल बनाम ग्रा.पं. खणदेवत के वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बहस में बताया कि आराजी ख.नं. 337 रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम खणदेवत तहसील निवाई में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

है जिस पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वजों के जीवनकाल से आज दिन तक मौके पर बतौर मालिक स्वामी की हैसियत से काबिज होकर भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हरसूखा पुत्र श्रवण कोम जाट जो कि ला–औलाद फोत हुआ है उसके ग्राम पंचायत में पूर्व में रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा नामांतकरण खुलवाने हेतु कार्यवाही की गई थी जिसे ग्राम पंचायत खणदेवत द्वारा दिनांक 08.10.1980 को ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 का नामांतकरण निरस्त फरमा दिया गया था उसके बावजूद भी पुनः 37 वर्ष पश्चात हरसूखा को दिनांक 11.10.1969 को मृत्यु होना दिखाते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतकरण रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में दिनांक 06.2.17 को क्षैत्राधिकार से परे जाकर मियाद बाहर बिना किसी वैध व अधिकार के फर्जी व मिलीभगत तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसूखा का वारिस व उत्तराधिकारी के रूप में नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त आराजी को अपीलान्ट के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरी रिजमशन एक्ट लागू उसी समय से अपीलान्ट के पूर्वज जगदीश व जगरामा पि. सोहनलाल कोम जाट काश्त करते चले आ रहे थे किन्तु जब सेटलमेन्ट आया उस समय सम्वत् 2008 में उक्त भूमि को पूर्व में हरसूखा पुत्र श्रवण काश्त करने के कारण उसने अपीलान्ट के पूर्वजों के हक में अपने कब्जे की भूमि रहन रखकर अपीलान्ट के पूर्वजों को सम्भला दी थी तभी अपीलान्ट के पूर्वजों के उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बतौर राहिन मूर्तहीन के अपीलान्ट के कब्जे एवं आधिपत्य में चली आ रही है जिसके अपीलान्ट विधि अनुसार उक्त भूमि के मालिक स्वामी हो चुके है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में खोला गया उक्त नामांतकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण सं. 1977 निर्णय दिनांक 6.2.2017 को निरस्त करते हुये, पटवारी हल्का राधाकिशन चौधरी खणदेवत के विरूद्ध एवं सरपंच ग्राम पंचायत खणदेवत के विरूद्ध गलत रूप से नामांतकरण पेश कर स्वीकृत करवाने के लिये पृथक से फौजदारी व विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलान्ट के हक में नामांतकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बहस में बताया कि उक्त नामांतकरण जानकारी के अभाव मे गलत भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर वर्णित नामान्तकरण सं. 1977 दि. 06.2.2017 को खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 ने बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसुखा का वारिस मानते हुए नामान्तकरण भरा गया है। वह दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसुखा की पगडी बंधी थी। जो कि विधिक वारिस है। नामान्तकरण वारिस के आधार पर विधिसंगत रूप से भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपील सं. 02/2017 बउनवान रतनलाल बनाम सरपंच ग्रा.पं. खणदेवत के वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बहस में बताया कि खाता सं. 501 ख.नं. 1257/3 शा.नं. 1267 रकबा 06–14 बीघा वाके ग्राम खणदेवत में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादीगण अपने बाप दादाओ के जमाने से काबिज काश्त है। उक्त आराजी को वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण चेला जगरामदास जी के हरसूख पुत्र श्रवणा जाति जाट निवासी खणदेवत ने रहन रखी थी व कब्जा मालिकाना

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

काबिजाना वादीगण को सम्भलाया था तब से ही वादीगण काबिज काश्त है। पूर्व में सन् 1980 के वाद में रोडू वगै. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। हरसूखा पुत्र श्रवणा ला–औलाद फोत हो गया था। उसने किसी को गोद भी नहीं लिया था। जबकि गलत रूप से वारिस बताते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण सं. 1977 निर्णय दिनांक 6.2.2017 को निरस्त करते हुये, पटवारी हल्का राधाकिशन चौधरी खणदेवत के विरूद्ध गलत वारिसों के नाम नामांतकरण भरने व ग्राम पंचायत गलत रूप से नामांतकरण पेश कर स्वीकृत करवाने के लिये पृथक से फौजदारी व विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बहस में बताया कि उक्त नामांतकरण जानकारी के अभाव मे गलत भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर वर्णित नामान्तकरण सं. 1977 दि. 06.2.2017 को खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडन्ट सं. 2 ने बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसुखा का वारिस मानते हुए नामान्तकरण भरा गया है। वह दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को हरसुखा की पगडी बंधी थी। जो कि विधिक वारिस है। नामान्तकरण वारिस के आधार पर विधिसंगत रूप से भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

उभयपक्षों की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हरसुखा का दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बहस में बताया है उक्त नामांतकरण जानकारी के अभाव मे गलत भरा गया है। साथ ही उक्त नामांतकरण खारिज करने हेतु प्रा.पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण सं. 1977 दि. 06.2.2017 में गलत रूप से वारिस बताते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है। जिसे खारिज किया जाना न्यायालय न्यायसंगत समझता है।

अतः अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण सं. 1977 दि. 06.2.2017 वाके ग्राम खणदेवत को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाता है कि वे विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/19

जे.पी. बैरवा
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner